न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 82 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. कानाराम पुत्र मीठाराम 2. देशुदेवी पत्नी मीठाराम जाति सुथार निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा	पार्टी संख्या 01 1. कानाराम पुत्र धनाराम 2. गौतमकुमार पुत्र धनाराम 3. पुखराज पुत्र धनाराम 4. गीतादेवी पत्नी स्व. घेवरचन्द्र जाति सुथार निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा पार्टी संख्या 02 1. कमलादेवी पुत्री धनाराम 2. चेनाराम पुत्र धनाराम 3. पारसमल पुत्र भुराराम 4. शान्तिदेवी पत्नी पारसमल जाति सुथार निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा 5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा 6. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 113 / 2022 बउनवान कानाराम वगैरह बनाम कानाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.05.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

1. वकील श्री नरपतसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—10.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 320 रकबा 15.1110 हैक्टेयर मौजा पादरू में आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में अविभाजित है, जिसकी जमाबंदी एवं नक्शा संलग्न पेश किया है। उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि में प्रत्येक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादीगण का 5/48 हिस्सा आता है, जिसमें वादीगण 1 ता 4 का कुल हिस्सा 5/12 है जो रकबा 6.29625 हैक्टेयर भूमि आती है। प्रतिवादीगण 1 व 4 का 1/24–1/24 हिस्सा व प्रतिवादीगण 2 व 3 का 5/48–5/48 हिस्सा, प्रतिवादीगण 5 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण 6 का 1/8 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि में वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अलग बंटवारा नहीं होने के कारण हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पचपदरा से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया व सी पी सी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। आदेशिका दिनांक 17.07.2023 को प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की ओर से वकील श्री कैलाशपुरी की उपस्थिति दर्ज की गई। जबकि अपीलांट संख्या 2 को न तो सम्मन मिला तथा न ही श्री कैलाशपुरी को वकील किया, न किसी प्रकार से हिदायत पैरवी दी, तथा न ही वकालतनामा पर प्रतिवादी संख्या 4 के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान हैं। अपीलांटगण रेकर्डेड खातेदार होने से उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपीलांटगण को उक्त वाद में वादीगण के गवाह से जिरह करने व स्वयं के साक्ष्य सबूत पेश करने बाबत सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना न्यायोचित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात पर कोई प्रदर्श अंकित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अपीलांटगण स्वयं ने अपनी तरफ से अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी को नियुक्त किया गया। हिस्सों को लेकर अपीलांटगण द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने से अपीलांट को क्या हानि हुई स्पष्ट नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित समस्त संयुक्त खातेदारों के हिस्सों को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जबावदावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.05.2024 विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित की गई। हस्तगत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार स्पीकिंग निर्णय पारित नहीं किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा करने के आदेश पारित किये गये जबकि अपीलाधीन आराजी की गुणवता, स्थायी आलामत, मार्ग के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 113/2022 बउनवान कानाराम वगैरह बनाम कानाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.05.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशन को ध्यान में रखते हुए अपीलांट को जबावदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर वाद सुनवाई स्थाई आलामात/कब्जे/मार्ग/गुणवत्ता को ध्यान में रखते बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस सिद्धांत के अनुसार अपीलाधीन आराजी का बंटवारा करने हेतु प्राथमिक निर्णय व डिक्री नियमानुसार पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

10/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/6/2025

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर